राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5122/2022

–अपीलार्थी

ज्योति (कर्मचारी आई.डी. :– आरजेजेपी201618005611)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	30.09.2022
आदेश की दिनांक	:	11.11.2022

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पीटीआई ग्रेड–द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाडा पदमपुरा जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पापड जमवारामगढ, जिला जयपुर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजन करने की दृष्टि से किया गया है, साथ ही यह स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी तलाकसुदा महिला है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2022 में नोट संख्या 4 में यह अंकित है कि परित्यक्ता महिला को कार्यमुक्त नहीं किया जायें। उक्त नोट के बाद भी अपीलार्थीया को दिनांक 29.09.2022 को कार्यमुक्त किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थीया ने स्वयं का अपने पति के साथ

विवाह–विच्छेद होने की डिक्री की प्रति पेश की है। चूंकि अपीलार्थीया परित्यक्ता महिला है। ऐसे में स्थानांतरण से अपीलार्थी को प्रथम दृष्टया असुविधा होना स्वाभाविक प्रकट होता है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 6 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)